इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

(इरकॉनएसजीटीएल)

तीसरी वार्षिक रिपोर्ट

(2017-18)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सी एस भटनागर एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स सुरभि बंसल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक,

आर.के.पुरम,

नई दिल्ली

कंपनी के ईपीसी ठेकेदार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली - 110017
ई-मेल: cs.irconsgtl@gmail.com
दूरभाष : 91-11-29565666
सीआईएन :U45400DL2015GOI280017

विजन एवं मिशन

विजन

मध्यप्रदेश राज्य में किमी 236.000 से किमी 332.100 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और संचालन तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा व आराम को सुनिश्चित करना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के कुशल नियोजना और सतर्क मॉनीटरिंग का कड़ाई से अनुपालन करके निर्माण और अनुरक्षण की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए सृजनात्मक निर्माण तकनीकों का प्रयोग।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) **अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।**

विषय वस्तु

विवरण	पृष्ठ
अध्यक्ष का संबोधन	**08**
निदेशक की रिपोर्ट	**10**
प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	**24**
फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार	**29**
फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	**41**
प्रबंधन उत्तर	**43**
निगमित शासन रिपोर्ट	**44**
निगमित शासन पर प्रमाणपत्र	**58**
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	**60**
वित्तीय विवरण 2017-18	**67**
तुलन पत्र	**68**
लाभ व हानि विवरण	**69**
रोकड़ प्रवाह विवरण	**70**
इक्विटी परिवर्तन विवरण	**71**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - नोट सं. 1-2	**72**
प्रकटन सहित लेखों के नोट - नोट सं 3 से 36	**93**
सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट	**114**
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	**130**

<u>निदेशक मंडल</u>

(अंशकालीन निदेशक)

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल

निदेशक

श्री आनन्द कुमार सिंह

निदेशक

श्री राजेन्द्र सिंह यादव

निदेशक

सुश्री अनुपम बेन

निदेशक

मुख्य कार्यपालक

मसूद अहमद नजर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अतुल कुमार

मुख्य वित्त अधिकारी

सुश्री साक्षी मेहता

कंपनी सचिव

परियोजना फोटोग्राफ

(राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवपूरी गुना टोलवे, मध्य प्रदेश)

अध्यक्ष का संबोधन

आपकी कंपनी की तीसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और सम्मान का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

मैं इरकॉन आईएसजीटीएल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को प्रकट करना चाहता हूं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे (इरकॉन एसजीटीएल) का निगमन मई, 2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर किमी 236.00 से किमी 332.100 (97.74 किमी) तक शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का बनाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी), जो जुलाई 2018 निर्धारित की गई थी को 06 जून 2018 को ही अर्थात 1.5 माह पूर्व प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार, टोल प्लाजा का प्रचालन और राजस्व का एकत्रण दिनांक 07 जून 2018 को हो गया है। एनचएआई ने अनुसूचित समय से पूर्व परियोजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कंपनी को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

वर्तमान माह का टोल एकत्रण 6.5 करोड रूपए से 7.00 करोड रूपए के बीच मं हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड रूपए है। वित्तीय वर्ष (वि.व) 2017-18 के दौरान, इरकॉन आईएसजीटीएल ने परियोजना निर्माण लागतों को पूरा करने के लिए 722.11 करोड रूपए के अनुमोदित ऋण में से 525.82 करोड रूपए का ऋण प्राप्त कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय 381.85 करोड रूपए है और दिनांक 31 मार्च 2018 को संचित पूंजीगत व्यय 682.53 करोड रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 1.89 लाख रूपए की अन्य आय अर्जित की है और निवल कर पश्चात घाटा 6.56 लाख रूपए है।

अनुपालन एवं प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके संबंधित नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी को लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने से छूट प्रदान की गई है।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी**,** इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**,** कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी भावना हमारी कंपनी को आगे ले जाने की कुंजी है।

(दीपक सबलोक)
अध्यक्ष

निदेशक की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष : 2017-18

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में
कंपनी के सदस्य

आपके निदेशकों को 2017-18 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

क. व्यवसायिक अवलोकन: गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) को 872.11 करोड़ रूपए की कुल परियाजना लागत पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, हालांकि, इस परियोजना को दो चरणों में निष्पादित किया जा रहा है अर्थात् चरण-I और चरण-II. चरण-I की कुल लागत 759.98 करोड़ रूपए है जिसे जुलाई 2018 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है और जबकि चरण-II की कुल लागत 112.13 करोड रूपए है और यह जनवरी 2021 तक आरंभ हो जाएगा।

कंपनी नियुक्ति तिथि तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित निर्धारित समयसीमा के अनुसार 910 दिनों के भीतर 25 जनवरी 2016 ('संचालन की वाणिज्यिक तिथि' - डीओडी) और टोलवे को चालू करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति कर रही है।

चरण-I के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति पूरी हो गई है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को 1.5 माह पूर्व यथा दिनांक 6 जून 2018 को प्राप्त कर लिया गया है। इसप्रकार दिनांक 7 जून 2018 से टोल प्रचालन और राजस्व एकत्रण का कार्य आरंभ हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए परियोजना की वित्तीय प्रगति (अर्थात पूंजीगत व्यय - कुल परियोजना लागत के सापेक्ष) 381.85 करोड़ रुपये रुपये के मूल्य पर है, जिसे 'विकास के तहत अमूर्त आस्तियों' के मूल्य के समतुल्य परियोजना के विकास पर राशि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत निम्नानुसार हैं: -

- इक्विटी शेयर पूंजी: 150 करोड़ रूपए (संपूर्ण इक्विटी को प्राप्त व खर्च किया गया है)
- रक्षित ऋण (उधार): 525.82 करोड़ रूपए (722.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि के प्रति)

ख. कंपनी का वित्तीय निष्पादन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

इंड एएस के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च 2018 को वित्तीय निष्पादन संकेतक:

(रुपये में लाख)

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए**
	(लेखा परीक्षित)	**(लेखा परीक्षित)**
1. इक्विटी शेयर पूंजी	15,000	15,000
2. अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि व अतिरेक सहित)	(73.40)	(66.84)
3. धारक कंपनी से ऋण (उधार)	52,582	16,265
4. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	68253.40	30,068.39
5. कुल परिसंपत्ति और देयताएं	70,223.67	**32,409.73**
6. प्रचालन से राजस्व	38,193.27	29,412.43
7. अन्य आय	1.89	61.15
8. कुल आय (6) + (7)	38,195.16	**29,473.58**
9. प्रचालन लागत	38,193.27	29,412.43
10. अन्य व्यय	-	-
13. कुल व्यय (9) + (10)	**38,193.27**	**29412.43**
14. कर से पूर्व लाभ (8) - (11)	**1.89**	**61.15**
15. कर पश्चात लाभ	**(6.57)**	**39.21**

16. अन्य वृहत आय	-	-
17. कुल वृहत आय (लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय सहित (13) + (14)	**(6.57)**	**39.21**

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ग. परियोजना से रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में कुल कमी **रूपए (1,270.69 लाख)** है।

घ प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट को **अनुबंध-I** के रूप में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

ड. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैं:-

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

च. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां, नियम, 2014 तथा डीपीई (निगमित शासन) दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की 05 बैठकें हुईं।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	बोर्ड बैठक की तिथि	पिछली बैठक के संबंध में समय अंतराल यथा (दिनों की संख्या)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	अनुपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	13 जून 2017	90	5	शून्य
2.	28 जुलाई 2017	44	4	1
3.	6 सितंबर 2017	39	5	शून्य
4.	29 नवंबर 2017	83	5	शून्य
5.	20 फरवरी 2018	82	5	शून्य

(iii) निदेशक मंडल

आज की तिथि को निम्नलिखित निदेशक पदधारित हैं:

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति की तिथि	डिन
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	12 मई 2015	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	12 मई 2015	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक	21 जुलाई 2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक	06 मार्च 2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक	09 जून 2017	07797026

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री मसूद अहमद नाजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री मोहम्मद हन्नान को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में दिनांक 21 जुलाई 2016 को घोषित किया गया था।

दिनांक 20 फरवरी, 2018 को श्री अतुल कुमार को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित किया गया था, जो मुख्य वित्त अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार जैन पर आए हैं क्योंकि श्री जैन अधिवर्षिता के कारण धारक कंपनी में पदमुक्त होने के कारण दिनंक 31 जनवरी 2018 से इरकॉन एसजीटीएल के सीएफओ के कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

सुश्री शाक्षी, कंपनी सचिव दिनांक 29 मई 2017 से कंपनी सचिव नियुक्त हुई हैं।

छ. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

(क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण** थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

(ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

ज. अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर विवरण।

लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ट. अंतर-निगमित ऋण तथा निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतर-निगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

ठ. वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

ड. अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार- फार्म संख्या एओसी-2 में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं

फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन **अनुबंध-ग** के रूप में संलग्न है।

ढ. लाभांश तथा आरक्षित निधियां

निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस के अनुप्रयोग के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में अन्य इक्विटी शेष के अंतर्गत प्रतिधारित आमदनियों के रूप में परिलक्षित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2018 को अपकी कंपना का रूपए (73.40) लाख रूपए का ऋणात्मक शेष है।

ण. **जमा राशियां**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

प. ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा उपप्रवह

राजमार्ग के निर्माण के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी मुद्रा आगम और निर्गम नहीं हुआ है।

फ. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां

(लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हर एक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बहि में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा बल दिए गए मुद्दे के लिए प्रबंधन का प्रतिउत्तर परिशिष्ट-। पर संलग्न है:

ब. आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित ब्यौरा

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएफसी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुसार *(सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू)* लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2014-15 से आरंभ) में उल्लेख करने का प्रावधान है।

कंपनी द्वारा अभिकल्पित और क्रियान्वित किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी के आकार और जटिलता के अनुसार उपयुक्त पर्याप्त हैं। आपकी कंपनी का मत है कि ये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एक उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी के लेनदेन को प्रबंधन प्राधिकरण के साथ निष्पादित किया जाता है और इन्हें सभी भौतिक मामलों में रिकॉर्ड किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की संपत्तियों को दुरुपयोग या हानि के प्रतिपर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

भ. जोखिम प्रबंधन

बोर्ड कंपनी को व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम की संभावना नहीं है।

भ. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के प्रावधान के अनुसरण में, वर्ष 2017-18 के

दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

प. निगमित संचलन पर रिपोर्ट

निगमित संचलन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-घ** के रूप में संलग्न किया गया है।

फ. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स सीएस भटनागर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स सुरभि बंसल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स एंड्रोस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है।

ह. सीएसआर समिति

आज की तिथि को कंपनी के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि कंपनी 500 करोड़ रूपए या अधिक की निवल परिसंपत्ति, 1000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ के क्षेत्र में नहीं आती है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 135)

ब. सहायक कंपनियों, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

भ. वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट की तिथि तक सामग्रीगत परिवर्तन या प्रभावित प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने धारक कंपनी (इरकॉन) से 35.77 करोड रूपए का ऋण पाप्त किया है।

ल. समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए जून, 2017 के दौरान वर्ष 2017-18 के लिए पहली बार धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, डीपीई ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए छूट प्रदान की है।

व. आभारोक्ति

आपके निदेशक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**,** ऋणदाताओं, व्यावसायिक सहयोगियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को मूल्यवान समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। वे सभी श्रेणी के कार्मिकों की भी उनके निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक: **25.09.2018**
स्थान : **नई दिल्ली**

अनुबंध – क

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमर्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचडीपी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी गूना खंड (एनएच-3) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (यथा धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में

विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

- **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

- **कमजोरियां**

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसान है।

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर उतप्रवह प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

- **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **जोखिम**

कोई प्रमुख जोखिम का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि चरण-I के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति पूरी हो गई है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को 1.5 माह पूर्व यथा दिनांक 6 जून 2018 को प्राप्त कर लिया गया है। इसप्रकार दिनांक 7 जून 2018 से टोल प्रचालन और राजस्व एकत्रण का कार्य आरंभ हो गया है।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना ''राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु चालू प्रचालनिक और गैर प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका I: वर्तमान वित्तीय स्थिति

विवरण		**1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि हेतु**
I.	**राजस्व :**	
	प्रचालनों से राजस्व	38,193.27
	अन्य आय	1.89
	कुल राजस्व	**38,195.16**
II.	**व्यय:**	
	प्रचालनिक लागत	
	कुल व्यय	38,193.27
		38,193.27
IV.	**कर पूर्व लाभ**	**1.89**

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में सामग्रीगत विकास

कंपनी के कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति की है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक: 25.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2015जीओआई280017
2.	**पंजीकरण तिथि**	12 मई, 2015
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई 008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

*** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2017 को (निगमन की तिथि)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2018 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निकाय#	शून्य	150000000	150000000	100	शून्य	150000000	150000000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**150000000**	**.50000000**	**100**	**शून्य**	**.50000000**	**150000000**	**100%**	**-**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

व्यक्तिगत शेयरधारक									
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**150000000**	**50000000**	**100**	**शून्य**	**50000000**	**150000000**	**100%**	**-**

 # निगमित निकाय: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 9 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	र्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2017 को (निगमन की तिथि)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च, 2018 को]			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-
	कुल	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 150,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 09 शेयरधारकों के पास **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर** से 100 शेयरधारित है।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता [31 मार्च, 2017 को (निगमन की तिथि)]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता [31 मार्च, 2018 को]	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

			का %		
1.	वर्ष के आरंभ में	150000000	100%	150000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में	150000000	100%	150000000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	**प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (निगमन) की तिथि)]**		**वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता**	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं।**			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2017 को आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2018 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

$ "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री दीपक सबलोक, श्री अशोक कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और सुश्री अनुपम बेन के पास प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर हैं "

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	162,65,00,000			162,65,00,000

ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	162,65,00,000			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	363,17,00,000			363,17,00,000
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन	363,17,00,000			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	525,82,00,000	-	-	525,82,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	525,82,00,000			

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**				**कुल राशि**
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	**लागू नहीं** -	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-

3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य बताएं	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) $					
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

* **आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पांच पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रह हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।**

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**				**कुल राशि**
1	स्वतंत्र निदेशक	**लागू नहीं**				
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)					
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2) $					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग					

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	21,17,593	3,18,565	23,98,634	48,34,792
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3,05,208	-	-	3,05,208
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं				
	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	44,062	-	2,92,388	3,36,450
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	3,23,008	18,174	32,831	3,74,013
	कुल	**27,89,871**	**3,36,739**	**27,23,853**	**55,45,255**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

* कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक: 25.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध - ग

फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	***संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्मस लैंथ आधार पर नहीं हैं***	***शून्य***
2.	***आर्म लेंड आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा***	***शून्य***
3.	संबंधित पक्षों के नाम (नामों) और संबंधों की प्रकृति	**शून्य**
4.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	
5.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	
6.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	

7.	बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि(तिथियां)	
8.	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो:	

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक: **25.09.2018**
स्थान : **नई दिल्ली**

परिशिष्ट-।

प्रबंधन का उत्तर

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
विषय पैरा पर बल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8.1 में 31.03.2018 को एनएचएआई से वसूलीयोग्य के रूप में 17,70,31,845/- की राशि दर्शाई गई है, जिसमें रु। एनएचएआई और इरकॉन द्वारा निष्पादित कार्य सहित रियायत समझौते के अनुसार उपयोगिता शिफ्टिंग के 14,02,40,957/- शामिल हैं। और इस कार्य को इरकॉन द्वारा निष्पादित किया गया है। जबकि कंपनी द्वारा ऐसे कार्यों के बिलों को एनएचएआई, मुख्यालय से अनुमोदन लंबित होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि सेवाओं के लिए भुगतान इरकॉन को किया गया है।	स्थिति को वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8.1 में स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, रियायत समझौते के खंड 16.1.1 के अनुसार कार्यक्षेत्र/उपयोगिता स्थानांतरण के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता के लिए लागत रियायतकर्ता द्वारा व्यय किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा खंड 16.3 के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। रियायत समझौते के खंड 16.3 के अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया स्कोप ऑर्डर में परिवर्तन जारी करने के 7 दिनों के पश्चात शुरू किया जाएगा। परियोजना के निष्पादन के दौरान कार्यक्षेत्र के परिवर्तन / उपयोगिता शिफ्टिंग की विधिवत स्वीकृति एनएचएआई द्वारा नियुक्त दल प्रमुख द्वारा की गई थी, जिसे परियोजना निदेशक एनएचएआई, गुना द्वारा प्रत हस्ताक्षर किए गए और आदेश जारी करने के लिए एनएचएआई मुख्यालय नई दिल्ली को भेज दिया गया। चूंकि राशि पहले ही एनएचएआई के परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गई है, इसलिए राशि को एनपएचएअई से वसूली योग्य / प्राप्य योग्य मानी गई है।

कृते एवं की ओर से इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

ह/-
(ए.के.सिंह)
निदेशक

अनुबंध – घ

निगमित शासन पर रिपोर्ट

एक सरकारी निकाय होने के कारण कंपनी पारदर्शी रूप में कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा संव्यवहारों के संचालन के लिए स्वीकार किए गए "**निगमित शासन उपायों**" का अनुपालन करती है। कंपनी समय परीक्षित निगमित कार्यप्रणाली तंत्रों का कड़ाई से अनुपालन करती है और तदर्थ नियोजन या नीति निर्धारण का अनुसरण नहीं करती। कंपनी के अधिकारियों पर उचित जवाबदेही निर्धारित की जाती है जिससे व्यवस्थित, नैतिकपूर्ण और व्यावसायिक व्यापार पद्धितियों के अनुसरण को सुनिश्चित किया जाता है।

1. **कंपनी का दर्शन :** निगमित कार्यप्रणाली को सांविधिक अनुपालनों और शासन संरचना अनुरूप तैयार किया गया है जिसे स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण सहित लाभप्रदत्ता को अधिकतम करने के लिए संरेखित किया गया है।

2. **निदेशक मंडल**

2.1 बोर्ड की संरचना:-

कंपनी में गैर-कार्यपाल बोर्ड है, जिसके सदस्य हैं, श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक, श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक, और श्री राजेंद्र सिंह यादव, निदेशक और सुश्री अनुपम बेन।

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने संगठनात्मक कार्यों के लिए उत्पादकता और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के तहत नियमित रूप से बोर्ड बैठक में भाग लिया है।

2.2 इस रिपोर्ट की तिथि को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तिथि को)

निदेशक	**पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र**	**कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	**कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	
			अध्यक्ष के रूप में	**सदस्य के रूप में**
दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	8 (इरकॉन आईएसटीपीएल इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन डीएचएचएल, सीईआरएल, एमसीआरएल और इरकॉन वीकेईएल	1	5
अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	5 (ईएसटीपीएल, इरकॉन आईएसएल इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन	4	4

		वीकेईएल)		
आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल)	2	3
राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915]	अंशकालीन निदेशक	2 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) और इरकॉन वीकेईएल)	शून्य	5
अनुपम बेन [डिन 07797026] (09.06.2017 से)	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) इरकॉन वीकेईएल)	1	शून्य

निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए

(वर्ष 2017-18 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)

निदेशक	**पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र**	**कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	**कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	
			अध्यक्ष के रूप में	**सदस्य के रूप में**
शून्य				

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

   क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

   ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

   घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

   ड.) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

झ) इरकॉनवीकेईएल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

3. वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की बैठकें 05 बार आयोजित हुईं: दिनांक 13 जून 2016, 28 जुलाई 2017, 06 सितंबर 2017, 29 नवंबर 2017 तथा 20 फरवरी 2018.

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

(ख) वित्त वर्ष 2017- 18 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक	**2017-18 में बोर्ड बैठकों की संख्या**		**अंतिम वार्षिक बैठक आम बैठक में उपस्थिति**
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	**उपस्थित**	
श्री दीपक सबलोक	5	5	हां
श्री अशोक कुमार गोयल	5	5	हां
श्री आनन्द कुमार सिंह	5	5	हां

श्री राजेन्द्र सिंह यादव	5	5	हां
श्री दीपक सबलोक	5	4	हां

श्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित सभी 05 बैठकों में भाग लिया।

4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

4.1 लेखपरीक्षा समिति

4.1.1 संदर्भ शर्तें:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3 कराड रूपए से बढकर 33 करोड रूपए (18 मार्च 2016 से) हो गई है, जो इरकॉन द्वारा 100 प्रतिशत धारित है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया और दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को इनकी बैठकों आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें जैसा की बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं:-

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें;

(ii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

(Iii) वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परीक्षा;

(iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन के अनुमोदन या तत्पश्चात कोई संशोधन;

(v) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(vi) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के कार्यों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, जिसमें कंपनी के तीन अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, जिसे मूल् रूप से निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को गटित किया गया था, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

समिति की वर्तमान संरचना है:

श्री आनंद कुमार सिंह - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री अशोक कुमार गोयल - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 04 बैठकें आयोजित की गईं यथा 12 जून 2017, 27 जुलाई 2017, 28 नवंबर 2017 और 20 फरवरी 2018. उक्त बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	**2017-18 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या**	
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	**उपस्थित**
श्री आनन्द कुमार सिंह	4	4
श्री अशोक कुमार गोयल	4	4
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	4	4

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके शक्तियां) नियम, 2014 के के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अनुसार, सभी सार्वजनिक कंपनियों में जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड रूपए या अधिक है या जिनका टर्नओवर 100 करोड रूपए या अधिक है या कुल ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2010 को डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए पारिश्रमिक समिति के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति का गठन होगा, जिसमें कम से

कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक होने चाहिए (अर्थात नामिती या स्वतंत्र निदेशक), और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 और डीपीई सीजी दिशानिर्दे, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 17 अक्तूबर 2016 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

समिति का पुनर्गठन दिनांक 14 मार्च 2017 को किया गया था। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री अशोक कुमार गोयल - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री आनंद कुमार सिंह - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं।

<u>संदर्भ की शर्तें</u>

नामांकन और पारिश्रमिक समिति :-

- उन व्यक्तियों की पहचान करें जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है,
- बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करनी चाहिए,
- प्रत्येक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तैयार करना, और

- निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की दिनांक 23 अगस्त 2017 को केवल एक बैठ हुई। उक्त बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	**2017-18 में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या**	
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	**उपस्थित**
श्री आनन्द कुमार सिंह	1	1
श्री अशोक कुमार गोयल	1	1
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	1	1

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

5. साधारण बैठकें

पिछले दो वित्तीय वर्ष यथा 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान आयोजित आम बैठक का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका-2: साधारण बैठकें

क्र.सं.	शेयरधारक बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	संव्यवहार हेतु	
					साधारण कार्य	विशेष कार्य
1	पहली असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	16 जून, 2015	1300 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 सितंबर 2016	1200 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	3	लागू नहीं
3	दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	25 सितंबर 2017	1100 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	लागू नहीं

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें।

प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में **अनुबंध-घ-1** के रूप में प्रस्तुत)।

8**. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सेचव, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-घ-2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 25.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-घ-।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री मसूद अहमद नजर	**श्री अतुल कुमार**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 17.07.2018
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-घ-2

लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल तिमाही रिपोर्टें और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को छोडकर। तथापि कंपनी ने डीपीई का अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं - 5086

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2018

अनुबंध-ड.

सुरभि बंसल एंड एसोसिट्स
कंपन सचिव

516, कीर्ति शिखर बिल्डिंग,
प्लॉट सं. 11, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
ई-मेल : surbhibansalandassociates@gmail.com
दूरभाष: 91-9711584732

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने यथा मैसर्स सुरभि बंसल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और

प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. कार्यक्षेत्र में महिला यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं उपचार) अधिनियम, 2013;

घ. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

ङ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों सहित अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-I और सचिवीय मानक-II .

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध की बाध्यता और प्रकटीकरण की अपेक्षा विनियम, 2015 - **कंपनी पर लागू नहीं।**

(iii) 'सार्वजनिक उपक्रम विभाग', भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ विधिवत रूप से किया जाता है। तथापि, यह ज्ञात है कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में) के द्वारा की जा रही है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा और कंपनी के कार्यपालक अधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर, हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते सुरभि बंसल एंड एसोसिएट्स

ह/-
सुरभि बंसल
प्रोप्राइटर
स.सं: ए39013
सीपी सं.: 15939

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितंबर 2018

अनुबंध-1

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुरभि बंसल एंड एसोसिएट्स

ह/-
सुरभि बंसल
प्रोप्राइटर
स.सं: ए39013
सीपी सं.: 15939

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितंबर 2018

<u>वित्तीय विवरण</u>

(वित्त वर्ष 2017-2018)

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
तुलन पत्र
31 मार्च, 2018 को

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
I.	**परिसंपतियां**					
1	**गैर चालू परिसिंपत्तियां**					
	(क) परिसंपति , संयंत्र और उपकरण	3	0.65		0.72	
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपतियां	4	-		-	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां	5	68,253.40		30,068.39	
	(घ) वित्तीय परिसंपतियां					
	(i) अन्य		-		-	
	(ड.) आस्थगित कर परिसंपतियां (निवल)	6	16.89		25.35	
	(च) अन्य गैर चालू परिसंपतियां	7	1.00	68,271.94	-	30,094.46
2	**चालू परिसंपतियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपतियां	8				
	(i) व्यापार प्राप्य	8.1	1,770.32		862.69	
	(ii) रोकड एवं रोकड समतुल्य	8.2	7.70		1,278.39	
	(iii) उपर्युक्त (i) से इतर अन्य		-		-	
	(iv) अन्य	8.3	0.09		0.43	
	(ख) चालू कर परिसंपतियां (निवल)	9	122.24		124.14	
	(ग) अन्य चालू परिसंपतियां	10	51.38	1,951.73	49.62	2,315.27
	कुल परिसंपतियां			**70,223.67**		**32,409.73**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	15,000.00		15,000.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	12	(73.40)	14,926.60	(66.84)	14,933.16
2	**देयताएं**					
	गैर चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i)कर्ज	13	52,582.00	52,582.00	16,265.00	16,265.00
	चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	14	2,517.46		1,093.62	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	197.61		117.95	
	(ग) चालू कर देयताएं (निवल)		-	2,715.07	-	1,211.57
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**70,223.67**		**32,409.73**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-34				

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं 081536

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

(दीपक सबलोक)	(आनन्द कुमार सिंह)	(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन-03056457	डीआईएन-07018776	डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर)	(अतुल कुमार)	(साक्षी मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वत्त अधिकारी	कंपनी सचिव

इरकॉन शिवपूरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
लाभ एवं हानि विवरण
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
	राजस्व :			
I	प्रचालनों से राजस्व	16	38,193.27	29,412.43
II	अन्य आय	17	1.89	61.15
III	**कुल आय (I + II)**		38,195.16	**29,473.58**
IV	**व्यय:**			
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	
	वित्तीय लागते		-	-
	प्रचालनिक लागत	18	38,193.27	29,412.43
	मूल्यह्रास, परिशोधन व्यय	19	-	-
	अन्य व्यय	20	-	-
	कुल व्यय (IV)		38,193.27	**29,412.43**
V	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (I - IV)		1.89	61.15
VI	आपवादिक मदें		-	-
VII	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		1.89	61.15
VIII	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		-	9.09
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		8.46	12.85
	कुल कर व्यय (VIII)		8.46	21.94
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		(6.57)	39.21
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचाचलों के कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX+XII)**		**(6.57)**	**39.21**
XIV	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XV	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (XIII +XIV) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**(6.57)**	**39.21**
XVI	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	21	(0.004)	0.04
	(2) विलयित		(0.004)	0.04
XVII	प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी (बंद प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल		-	-
	(2) विलयित		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी (बंद और निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	21	(0.004)	0.04
	(2) विलयित		(0.004)	0.04

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं 081536

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

(दीपक सबलोक)	(आनन्द कुमार सिंह)	(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन-03056457	डीआईएन-07018776	डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर)	(अतुल कुमार)	(साक्षी मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वत्त अधिकारी	कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
रोकड प्रवाह विवरण
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि लाख में)

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		1.89	61.15
समायोजन			
ब्याज आय		(0.14)	(61.15)
Tender Fee		(1.75)	
कार्यशली पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**0.00**	**0.00**
समायोजन			
अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		(907.29)	573.13
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		(1.76)	(40.83)
अन्य वित्तीय चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि		1,423.84	(813.81)
अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि		79.66	(44.40)
	(2)	**594.45**	**(325.91)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(1+2)**	**594.45**	**(325.91)**
प्रदात्त आयकर		1.90	(130.93)
एकत्रित निविदा शुल्क		1.75	
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**598.10**	**(456.84)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों पर व्यय		(38,185.69)	(26,412.30)
परिसंपति , संयंत्र और उपकरण की खरीद		(0.24)	(0.85)
वर्ष के दौरान पूंजीगत अग्रिम			-
प्राप्त ब्याज		0.14	61.15
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**	**(38,185.79)**	**(26,352.00)**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
इक्विटी शेयर		-	8,000.00
शेयर आवेदन राशि		-	-
कर्ज		36,317.00	16,265.00
शेयर इश्यु व्यय		-	(11.83)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ग)**	**36,317.00**	**24,253.17**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(क+ख+ग+घ)**	**(1,270.69)**	**(2,555.67)**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	**(ड.)**	**1,278.39**	**3,834.06**
रोकड शेष		-	-
बैंकों में शेष		**125.54**	3,694.06
अल्पकालीन निवेश		**1,152.85**	140.00
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)	**(च)**	**7.70**	**1,278.39**
रोकड शेष			
बैंकों में शेष		**1.68**	125.54
अल्पकालीन निवेश		**6.02**	1,152.85
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(च - ड.)**	**(1,270.69)**	**(2,555.67)**

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं 081536

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(अतुल कुमार)
मुख्य वत्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	
क. इक्विटी शेयर पूंजी	
1 अप्रैल 2017 को शेष	15,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	
31 मार्च 2018 को शेष	**15,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

विवरण	**शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन**	**प्रतिधारण आमदनी**	**कुल**
1 अप्रैल 2017 को शेष	-	(66.83)	**(66.83)**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	-	(66.83)	**(66.83)**
वर्ष हेतु लाभ	-	(6.57)	**(6.57)**
अन्य वृहत आय	-	-	-
कुल वृहत आय	-	(6.57)	**(6.57)**
लाभांश			-
लाभांश संवितरण कर			-
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-
31 मार्च 2017 को शेष	-	(73.40)	**(73.40)**

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं 081536

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

(दीपक सबलोक)	(आनन्द कुमार सिंह)	(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन-03056457	डीआईएन-07018776	डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर)	(अतुल कुमार)	(साक्षी मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वत्त अधिकारी	कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

1. निगमित सूचना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के किमी 236.000 से किमी 332.100 (स्टेज-1) के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है। टोल रोड दिनांक 06.06.2018 को पूरी हो गई थी, जिसके पश्चात टोल रोड ने अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है।

2. महत्वपूर्ण नीतियां का सार

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2018 को और हेतु समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

कंपनी द्वारा इंड एए को स्वीकार किए जाने के संबंध में एक पृथक नोट सं. 36 का संदर्भ लें।

(ii) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को उचित पर कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोडकर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

i. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।

(iii) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय

- वित्तीय माध्यम का उचित मूल्य मापन
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्त्यों का उपयोगी जीवनकाल
- निर्माण संविदाओं के समापन के प्रतिशत का भेदभाव
- गैर वित्तीय परिसंपत्त्यों की हानि

- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि
- आस्थगित और चालू कर का अनुमान

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

(ख) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका

प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ख. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

ग. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(4) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(5) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(6) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण मदों के चालू अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल**
कम्प्यूटर	3 – 6

पट्टे वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

1. सेवा रियायत करार से इतर अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्वःसृजित/अधिग्रहित
साफ्टवेयर	36 माह	अधिग्रहित

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

2. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

कंपनी सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली अमूर्त संपत्ति को स्वीकार करती है जब उसे रियायत बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए प्रभारत प्राप्त करने का अधिकार

दिया जाता है। सेवा रियायत समझौते में निर्माण या उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त अमूर्त संपत्ति को प्रारंभिक स्वीकृति पर प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात, अमूर्त संपत्ति को

लागत, कम संचित परिशोधन और संचित हानि पर मापा जाता है।

सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभार वसूल करने में सक्षम होती है।

रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके फ्रेट शेयरिंग राइट को संशोधित किया जाता है।

परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

(ड.) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(च) प्रावधान

प्रावधान को उस समय स्वीकार किया जाता है जबः

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(छ) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और राजस्व को सुदृढता से मापा जा सकता है।

प्रचालन राजस्व

एससीए के तहत निर्माण संविदा राजस्व

सेवा रियायत व्यवस्था के तहत निर्माण या उन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व को चरणबद्ध आधार पर स्वीकृति दी जाती है।कार्य पूरा होने पर जब निर्माण संविदा के परिणाम को सुदृढता से मापा जा सकता है और जहाँ निर्माण संविदा के परिणाम को मापा नहीं जा सकता है वहां सुदृढ राजस्व केवल संविदा लागत की सीमा तक मान्यता प्राप्त है।

टोल राजस्व

टोल राजस्व को टोल रोड से एकत्र टोल के संबंध में स्वीकार किया जाता है और यह पूर्वप्रदत्त कार्डों से राजस्व के भाग के रूप में हैं।

अन्य राजस्व मान्यता

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ज) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत अपने पुनर्प्राप्त करने योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और हानि का नुकसान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि प्रतिकर है अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव हुआ है और ऐसे नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। हानिकर के प्रतिकर लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

(झ) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ट) **कर्मचारी लाभ**

(1) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(2) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

(ठ) पट्टा

(1) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टाः–

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टाः–

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता

वित्तीय पट्टाः

(i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।

(ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रचालन पट्टा :

(i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

(ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ड) चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ण) **आस्थगित कर**

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में

स्वीकार किया जाता है।

(त) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

(थ) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(द) क्रियात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर–मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में
मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ध) **आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ**

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(न) **उचित मूल्य मापन**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित

मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(प) **इक्विटी धारकों को लाभांश**

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(फ) **वित्तीय माध्यम**

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ii. अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः

परिशोधित मूल्य पर

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैंः

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. रिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में

कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एवीटीपीएलके रूप मं किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पृथक नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(ब) वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जारी किन्तु प्रभावी न किए गए मानकः

(क) इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

एमसीए ने दिनांक फरवरी 2015 को ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस 115 को अधिसूति किया थ। इस मानक में नए पांच चरणीय मॉडल को स्थापित किया गया हैजो ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर लागू होगा। इंड एएस 115 के अंतर्गत, राजस्व को उस राशि पर स्वीकार किया जाता है, जो ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्गत के लिए विनिमय में निकाय द्वारा प्राप्त की जाने वाली संभावित राशि है। इंड एएस 115 का सिद्धांत राजस्व के मापन और स्वीकृति को अधिक संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नया राजस्व मानक सभी निकायों पर लागू है अैर यह इंड एएस के अंतर्गत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता अपेक्षाओं का अधिक्रमण करेगा।

इंड एएस 115 की प्रभावी तिथि दिनांक 1 जनवरी 2018 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां हैं। कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आरंभ वित्तीय वर्ष से इन मानकों को स्वीकार करे। कंपनी वर्तमान में इंड एएस 115 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रहा है और उसने अभी वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

3 परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(राशि लाख में)

विवरण	कम्प्यूटर उपकरण
लागत या मूल्यांकन	
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	**-**
समायोजन/निपटान	**-**
31 मार्च 2016 को समापन शेष	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	**0.85**
समायोजन	
31 मार्च 2017 को समापन शेष	**0.85**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.24
समायोजन	-
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**1.09**
मूल्यह्रास एवं हानि	
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	-
वर्ष के लिए प्रभारित मल्यह्रास	-
हानि/समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	-
वर्ष के लिए प्रभारित मल्यह्रास	-
हानि/समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	-
वर्ष के लिए प्रभारित मल्यह्रास	0.30
हानि/समायोजन	-
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**0.31**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2018 को	**0.78**
31 मार्च 2017 को	**0.85**
31 मार्च 2016 को	**-**

गैर चालू परिसंपत्तियां

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

विवरण	साफ्टवेयर
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.24
समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	**0.24**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	**0.24**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
समायोजन	-
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**0.24**
संचित परिशोधन एवं हानि	
12 मई 2015 को आरंभिक संचित मूल्यह्रास एवं हानि	**-**
परिशोधन (विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियों के अंतर्गत पूंजीकृत)	0.24
समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	**0.24**
परिशोधन	
हानि	-
समायोजन	
31 मार्च 2016 को समापन शेष	**0.24**
परिशोधन	
हानि	-
समायोजन	
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**0.24**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2018 को	**-**
31 मार्च 2017 को	**-**
31 मार्च 2016 को	**-**

5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां *

(राशि लाख में)

विवरण	टोल एकत्रण अधिकार
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	655.96
समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	**655.96**
वर्ष के दौरान संवर्धन	29,412.43
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	**30,068.39**
वर्ष के दौरान संवर्धन	38,185.01
समायोजन	
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**68,253.40**

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां का ब्यौरा **(राशि लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आरंभिक शेष	**30,068.39**	**655.96**
जमाः वर्ष के दौरान संवर्धन		
कार्य व्यय (^^)	34,686.87	29,261.09
कर्मचारी लागत	134.88	68.59
बीमा	19.36	19.08
विधिक एवं व्यावसायिक	3.29	1.89
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.31	0.28
किराया - गैर आवासीय	3.86	3.12
यात्रा एवं कन्वेयेंस	0.27	0.05
बैंक गारंटी एवं अन्य प्रभार	4.28	3.21
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	0.75	0.58
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	0.30	0.13
दरें एवं कर	0.46	0.04
विद्युत व्यय	2.54	-
होटल व्यय	-	0.02
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	145.88	88.73
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.27
चिकित्सा जांच व्यय	-	0.54
वाहन किराया प्रभार	10.11	5.35
भर्ती व्यय	-	0.20
मरम्मत एंव अनुरक्षण	-	0.04
टेलीफोन व्यय	0.23	0.01
अनुवाद व्यय		0.01
गैर मौद्रिक पूर्वोपेक्षाओं पर कर		0.42
ऋण पर ब्याज	3,179.88	188.83
आस्थगित कर व्यय	-	-
कुल	**38,193.27**	**29,642.48**
घटाः		
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज आय		228.90
सावधि जमा पर ब्याज	4.37	1.15
पेड काटने के लिए विविध प्रचालनिक व्यय	3.90	
कुल	**68,253.40**	**30,068.39**

^^ कार्य संविदाओं में 24,15,18,644/- रूपए की जीएसटी राशि शामिल है।

 # अनन्तिम रूप से प्रावधान, एनएचएआई को बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया, एनएचएआई से दर स्वीकृति लंबित

*** विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्यौरा**

शिवपुरी गूना राजमार्ग	68,253.40	30,068.39

6 आस्थगित कर परिसंपतियां

आस्थगित कर निवल का समायोजन

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आस्थगित कर परिसंपतियां		
प्रावधन		
- अन्य व्ययों हेत् प्रावधान	16.89	25.35
अग्रेणीत घाटा (वित्तीय वर्ष 2015-16)	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपतियां	**16.89**	**25.35**

आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) में संचलन

(राशि लाख में)

विवरण	घाटों का अग्रेणीत	अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	कुल
01.04.2016 को आरंभिक शेष	4.39	33.81	**38.20**
2016-17 के दौरान प्रभारित/(नामे)			
लाभ एवं हानि में	-4.39	-8.46	-12.85
अन्य वृहत आय में	-	-	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	**-0.00**	**25.35**	**25.35**
2017-18 के दौरान प्रभारित/(नामे) (31.12.2017 तक)			
लाभ एवं हानि में		**(8.46)**	**(8.46)**
अन्य वृहत आय में			
31 मार्च 2018 को समापन शेष	-	16.89	**16.89**

लाभ एवं हानि में स्वीकृत आयकर

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
चालू आयकरः		
चालू आयकर प्रभार	-	9.09
समायोजनः पूर्ववर्ती वर्ष	-	-
आस्थगित करः		
चालू वर्ष के सबंध में	8.46	12.85
देय एमएटी के संबंध में	-	-
कुल	**8.46**	**21.94**

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच समायोजन :

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	1.89	61.15
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**1.89**	**61.15**
भारत की सांविधि आय कर दर (31 मार्च 2017: 30.9%)	0.58	18.90
राशियों का कर प्रभाव जो करयोग्य आय के परिकलन में कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं हैं	7.88	3.04
घटाः अस्वीकृत व्यय		
प्रभावी आयकर दर 30.9%	**8.46**	**21.94**
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय (निरंतर प्रचालनों के संबंध में)	8.46	21.94
	8.46	**21.94**

गैर चालू परिसंपतियां

7 अन्य गैर चालू परिसंपतियां

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) पूंजी अग्रिम		
अरक्षित वसूली योग्य		
इरकॉन को अग्रिम	-	-
प्रतिभूति जमा राशि	1.00	
कुल	**1.00**	**-**

8 चालू परिसंपतियां वित्तीय परिसंपतियां

8.1 व्यापार प्राप्य

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वसूलीयोग्य - एनएचएआई	1,770.32	862.69
6 माह से अधिक हेतु		
कुल	**1,770.32**	**862.69**

एनएचएआई से प्राप्य 17,70,31,845 / - की राशि पुष्टि के अध्याधीन है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 14,02,40,957/- रूपए को एनएचएआई से वसूली के लिए उपयोगिता परिवर्तन हेतु वसूलीयोग्या दिखाया गया है, जो रियायत समझौते के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण है, जो एनएचएआई से अनुमोदन और पुष्टि के अधीन है।

कंपनी ने इंड एएस 109 के अनुसार, अपने उचित मूल्य पर, प्रतिधारण राशि को स्वीकार नहीं किया गया है। कंपनी ने उल्लेख किया है कि प्रतिधारण राशि को " व्यापार प्राप्य" के तहत दर्शाए गए राशियों में शामिल किया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
8.2	**बैंकों में शेष**		
	निर्धारित निधियां		
	चालू खातों में	1.68	125.54
	तीन महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	6.02	1,152.85
	कुल	**7.70**	**1,278.39**

8.3 अन्य वित्तीय परिसंपतियां

862.7

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सावधि जमा पर संचित किन्त् अदेय ब्याज	-	0.14
अन्य वसूली योग्य पर संचित किन्त् अदेय ब्याज	-	-
संचित ब्याज - स्टाफ अग्रिम	0.09	0.29
कुल	**0.09**	**0.43**

9 चालू कर परिसंपतियां (निवल)

862.69

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
चालू कर परिसंपतियां (निवल)		
स्रोत पर ब्याज कटौती और अग्रिम कर	131.33	133.23
घटाः देय प्रत्यक्ष कर	9.09	9.09
कुल	**122.24**	**124.14**

10 अन्य चालू परिसंपतियां

862.69

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) अन्य		
उचित मूल्यांकन समायोजन- वित्तीय परिसंपतियां	-	-
पूर्वप्रदत्त व्यय	5.79	6.66
प्राप्य वैट- एनएचएआई	42.96	42.96
प्राप्य जीएसटी इनपूट क्रेडिट	2.63	
कुल - अन्य	**51.38**	**49.62**

11 इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	**15,000.00**
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
11,70,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णत प्रदत्त और 3,30,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णत प्रदत्त	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	**15,000.00**

11.1 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारित का ब्यौरा

(राशि लाख में)

	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**श्रेणी में प्रतिशत धारिता**	**शेयरों की संख्या**	**श्रेणी में प्रतिशत धारिता**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	15,000.00	**100%**	15,000.00	**100%**
कुल	**15,000.00**	**100%**	**15,000.00**	**100%**

11.2 रोकड से इतर जारी शेयर

अवधि के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया

11.3 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या	**रूपए**
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1,500	15,000
जमाः अवधि के दौरान जारी शेयर		
अवधि के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**1,500.00**	**15,000.00**

रूपए लाख में

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन	01 अप्रैल 2017	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**रूपए**
	330	3,300
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1,170	11,700
जमाः अवधि के दौरान जारी शेयर	**1,500.00**	**15,000.00**
अवधि के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी		

11.4 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रूपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेतु पत्र है।

(ख) लाभांश

कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है।

ग) दिवालिया

कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य मात्रा के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

12 अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रतिधारण आमदनी	(73.40)	(66.84)
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-
कुल	**(73.40)**	**(66.84)**

12.1 <u>प्रतिधारण आमदनी</u>

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आरंभिक शेष	(66.83)	(94.22)
जमाः लाभ हानि विवरण में जमा लाभ	(6.57)	39.21
घटाः प्रदत्त पूंजी में वृद्धिहेतु प्रदत्त शुल्क	-	11.83
घटाः आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
समापन शेष	**(73.40)**	**(66.84)**

12.2 <u>शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन</u>

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आरंभक शेष	-	3,700.00
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-3,700.00
समापन शेष	-	-
जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या		-
अवधि जिससे पूर्व ऐसे शेयर जारी किए गए हैं		
क्या कंपनी के पास पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है		हां

13.1 अन्य गैर चालू देयताएं

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अरक्षित ऋण		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) को ऋण	52,582.00	16,265.00
समापन शेष	**52,582.00**	**16,265.00**

*** ऋण की शर्तें एवं निबंधन**

i) कंपनी ने कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपनी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड रूपए का एक सावधि ऋण प्राप्तं किया है, जिसमें से 31 मार्च 2018 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 525.82 करोड़ का वितरण किया गया है।

ii) ब्याज की शर्तें

लागू ब्याज दर एसबीआई के आधार दर जमा 0.5% है।

iii) पुनर्भुगतान की शर्तें

सावधि ऋण, निर्धारित त्रैमासिक किश्तों में सीओडी से 12 महीने की समाप्ति से आरंभ होने वाले 12.5 वर्षों में चुकाया जाएगा।

iv) ऋण के लिए सुरक्षा की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता बंधक/प्रभार और वर्तमान और भविष्य दोनों में चल संपत्तियों (जिनमें सभी मौजूदा / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं हैं) तक सीमित हैं।

(ii) सभी शुल्क पर पहली प्राथमिकता शुल्क, उधारकर्ता के राजस्व और प्राप्य परियोजना संपत्ति या अन्यथा।

(iii) सभी परियोजना समझौतों के एसाइनमेंट पर पहली प्राथमिकता शुल्क। सभी गारंटी, निष्पायदन गुणवत्ता या बांड, ऋण पत्र जो किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी परियोजना समझौते को उधारकर्ता और मंजूरी के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है और सभी अधिकार शीर्षक, अनुमोदन, परमिट, मंजूरी और ब्याज और उधारकर्ता अधिकार, शीर्षक, ब्याज प्रॉजेक्ट एग्रीमेंट और क्लीयरेंस के तहत या इसके अंतर्गत लाभ और दावा के अंतर्गत होंगे।

(iv) बीमा अनुबंधों, बीमा पॉलिसियों और बीमा आय के तहत या इसके अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक ब्याज, लाभ और उधारकर्ता के दावे पर एसाइनमेंट का पहला प्राथमिकता शुल्क।

(vi) साख सहित किन्तुि इस तक सीमित नहीं, सहित उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों की पहली प्राथमिकता / प्रभार / एसाइनमेंट, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित।

(vi) सीमा के बिना उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहली प्राथमिकता शुल्क, एस्क्रो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) और उसमें समय-समय पर जमा किए गए सभी निधियां और सभी अनुमत निवेशों या अन्य प्रतिभूतियों में एस्क्रो खाते में सभी क्रेडिट जमा किए गए हैं बशर्ते उपरोक्त (i) से (v) परियोजनाओं संपत्तियों को बाहर हों।

14 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
स्टाफ	-	-
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि	-	-
क) संबंधित पक्ष	-	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2,494.20	178.75
ख) अन्य देय	1.25	889.75
ग) देय सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.53
घ) देय आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.15
ड.) ऋण पर ब्याज	-	-
च) एनएचएआई - स्वतंत्र इंजीनियर	10.47	24.43
छ) ठेकेदारों से ईएमडी	11.54	
कुल	**2,517.46**	**1,093.62**

15 अन्य चालू देयताएं

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
भुगतान योग्य संविधिक देय		
देय श्रम उपकर	52.50	32.67
देय एमपी वेट	-	8.17
देय आयकर - टीडीएस	145.06	77.07
देय पेशेवर कर	0.01	0.01
देय पीएफ कटौती	0.04	0.03
देय जीएसटी	-	
कुल	**197.61**	**117.95**

16 प्रचालनों से राजस्व

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निर्माण संविदा राजस्व		
सीएसए के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व (नोट 31 का संदर्भ)	38,193.27	29,412.43
कुल	**38,193.27**	**29,412.43**

17 अन्य आय

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज (सकल)	-	61.15
प्राप्त निविदा शुल्क	1.75	-
आयकर प्रतिपूर्ति पर ब्याज	0.14	-
कुल	**1.89**	**61.15**

18 निर्माण व्यय

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निर्माण व्यय	38,193.27	29,412.43
कुल	38,193.27	**29,412.43**

19 मूल्यह्रास, परिशोधन एंव हानि

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	0.30	0.13
अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-
कुल	**0.30**	**0.13**
घटा: पूंजीकरण	0.30	**0.13**
कुल	-	-

20. अन्य व्यय

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्राथमिक व्यय बट्टाखाता	-	-
कुल	**-**	**-**

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(I) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	0.53
कुल	**-**	**0.53**

21. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
मूल ईपीएस	-0.004	0.04
विलयित ईपीएस	-0.004	0.04

मूल ईपीएस

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभः		
निरंतर प्रचालन	-6.57	39.21
बंद प्रचालन	-	-
मूल प्रति शेयर आमदनी हेतु इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ	-6.57	39.21
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर ब्याज	-	-
विलयन प्रभाव हेतु समायोजित प्रति शेयर आमदनी हेतु इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ	-6.57	39.21

विलयित ईपीसी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
मूल ईपीएस हेतु इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या*	1,500	1,031
विलयन का प्रभाव		
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयर	-	-
विलयन प्रभाव हेतु समायोजित प्रति शेयर शेयरों की औसत संख्या*	1,500	1,031

प्रति शेयर मूल आमदनी के प्ररिकलन में प्रयुक्त वेटेड औसत इक्विटी शेयर संख्या में समायोजित प्रति शेयर विलयित आमदनी के प्रयोजन हेत् इक्विटी शेयरों की वेटेड संख्या।

22. वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूपए में)		बकाया राशि	
		31.03.2018 तक की अवधि के दौरान	2016-17	31.03.2018 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2017 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	-	11,700.00	-	-
	ऋण	36,317.00	16,265.00	52,582.00	16,265.00
	अन्य देय राशियां			2,494.20	178.75
	अन्य प्राप्य राशियां	-	-	-	-
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदा*	34,686.87	29261.09		
	उपयोगिता अंतरण	2,110.90	335.99		
	किराया	2.11	2.42		
	ऋण पर ब्याज	3,179.88	188.83		
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	-	228.90		

* कार्य संविदाओं में जीएसटी के 24,15,18,644 रूपए शामिल हैं।

23. कंपनी को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्वा वाली सहायक कंपनी के रूप में 12 मई 2015 को निगमित किया गया था।

24. यह निगमन का तीसरा वर्ष है जबसे इन लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है और इंड एएस को क्रियान्वित किए जाने का दूसरा वर्ष है।

24क. **रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात इंड एएस के अनुसार प्रकटन**

गैर समायोजन घटना: टोल सडक परियोजना की समापन तिथि या सीओडी, 06 जून 2018 निर्धारित थी, जिसके पश्चात कंपनी का टोल प्रचालन आरंभ हो गया है। इससे कंपनी के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

25. आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता में वह राशि शामिल है जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए**,** जिसमें आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान की राशि शामिल नहीं है।

प्रतिबद्धता: शिवपुरी गूना राजमार्ग के निर्माण के प्रति कंपनी की की पूंजीगत प्रतिबद्धता 4080 लाख रूपए (34318 लाख रूपए)। व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं को विस्तृत विवरण से बचने के लिए प्रकट नहीं किया गया है।

26. कंपनी ने किसी आपूर्तिकर्ता को नियुक्त नहीं किया है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2018 को सूक्षम, लघु तथा मध्यम अद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई के किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं लगाया है। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2018 को लघु औद्योगिक उपक्रम को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि शून्य है।

27. वर्ष के दौरान आयातों और विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) मामले हैं और इसलिए, आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।

28. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के खंड 11 के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

29. कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक -19 के अंतर्गत प्रकटन)

इरकॉन शिवपुरी-गूना टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। इंड एएस की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

20. प्रचालन सेगमेंट (इंड एएस - 108 के अंतर्गत प्रकटन)

कंपनी का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी गूना खंड के व्यवसाय को निष्पादित करना है, और यह उक्त कार्य तक सीमित है, और इस व्यवसाय में कोई डाइवरसिफिकेशन नहीं है। कंपनी का एकल व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र है।

नोट 31 (क): सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "क" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -11)। **परिशिष्ट "क"** यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने 31.03.2018 को समाप्त अर्धवर्ष हेतु सेवा रियायत समझौते के तहत 38,195.16 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है, जिनमें 38,185.02 लाख रूपए अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय के हैं। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने टोल सड़कों के संचालन से किसी भी राजस्व को मान्यता नहीं दी है क्योंकि लाइन का निर्माण प्रक्रिया में है। लाइन का प्रचालन आरंभ होने के बाद राजस्व बुक किया जाएगा। कंपनी ने शुरू में उचित मूल्य पर आरंभ की गई सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को मान्यता दी है और तत्पश्चात दिनांक 31 मार्च 2018 तक परिशोधित लागत पर।

निर्माण संविदा

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-11 : निर्माण संविदाओं में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 17**	**31 मार्च 16**
स्वीकृत संविदा राजस्व	38,193.27	29,412.43
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	38,193.27	29,412.43
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	-	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारण राशि	-	-

संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	1,770.32	862.67

"नोट 31 (ख): एनएचएआई के साथ निष्पादित रियायत समझौते के अनुसार, कंपनी को बिजली लाइनों, पानी के पाइप और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता के स्थानांतरण के कार्य को करने की आवश्यकता है, यदि ऐसी उपयोगिता परियोजना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हो। ऐसी उपयोगिता को स्थानांतरित करने की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा या उपयोगिता के निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई से अनुमोदन के पश्चात बैक-टू-बैक आधार पर इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को उपयोगिता शिफ्टिंग का पूरे काम उपठेके पर दे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मार्च 2018 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटड का कंपनी के प्रति 3865.58 लाख रूपए (पिछले वर्ष तक 2463.17 लाख रूपए) का संचयी बिल देय है। एनएचएआई ने 24636 लाख रुपये का ऋण दिया है। एनएचएआई से प्राप्त न हुई 1770.32 लाख रूपए की शेष राशि को चालू परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

32. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धारक कंपनी से 36,317.00 लाख रूपए का ऋण लिया है।

33. वित्तीय माध्यम

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	7.70	-	-	1,278.39
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	0.09	-	-	0.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**7.79**	**-**	**-**	**1,278.82**
वित्तीय देयताएं:			52,582.00	-	-	16,265.00
अन्य वित्तीय देयताएं			2,517.46	-	-	1,093.62
कुल वित्तीय देयताएं			**55,099.46**	**-**	**-**	**1,093.62**

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में वर्तमान संव्यवहारों में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) कंपनी द्वारा दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।

ii) गैर वर्तमान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्षों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के बराबर माना जाता है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है,कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2017 तथा 31 मार्च 2018 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

विवरण	**31 मार्च 2018 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष या अधिक**
ऋण	36,317.00	12,000.00	4,265.00

	36,317.00	12,000.00	4,265.00

विवरण	31 मार्च 2017 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या अधिक
ऋण	5,000.00	7,000.00	4,265.00
	5,000.00	7,000.00	4,265.00

34. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं निम्नानुसार हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए प्रमुख समायोजनों के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन पद्धतियों के लिए इनपुट, अवलोकनात्मक बाजारों से लिया जाता है किनतु, जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन से वित्तीय माध्यमों की रिपोर्टिंग में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति हानि का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण

प्रबंधन निर्णय के लिए अपेक्षित है कि वह आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करे जो संभावित समय और स्तर के आधार पर पहचानी जा सकती है, जो भविष्य की कर योजना रणनीतियों और भावी कर योग्य लाभ पर आधारित हो।

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं 081536

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

(दीपक सबलोक)	(आनन्द कुमार सिंह)	(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन-03056457	डीआईएन-07018776	डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर)	(अतुल कुमार)	(साक्षी मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वत्त अधिकारी	कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष : 2017-18)

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2018 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

इस रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 31.07.2018 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के अधिक्रमण में, दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा का प्रक्रिया के दौरान भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अवलोकनों के परिणामस्वरूप संशोधित किया गया है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है।

इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता है जो इंड एएस सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

(क) 31 मार्च 2018 को कंपनी के कार्य की स्थिति,

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि,

(ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका रोकड़ प्रवाह।

5. मुख्य पैराग्राफ पर बल

अपने मत की अर्हता के बिना हमारा मत वित्तीय विवरण के नोट सं. 8.1 की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 17,70,31845 रूपए की राशि को दिनांक 31.03.2018 को एनएचएआई से वसूलीयोग्य दर्शाया गया है, जिसमें एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के अनुसार उपयोगिता शिफ्टिंग के प्रति 14,02,40,957 रूपए की राशि भी शामिल है और इस कार्य को इरकॉन द्वारा निष्पादित किया गया है। हालांकि, एनएचएआई मुख्यालय द्वारा अनुमोदन लंबित होने के कारण कंपनी ने ऐसे कार्यों के बिलों को प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि सेवाओं के लिए भुगतान इरकॉन द्वारा किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

6. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा-3 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **"अनुबंध-क"** के रूप में दे रहे हैं।

(2) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) कंपनी के शाखा कार्यालय के लेखों पर रिपोर्ट, जिसे शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा इस अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) हमारे मतानुसार, वित्तीय विवरण सतत आधार पर तैयार किए गए हैं और इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो कंपनी की कार्यप्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की अपात्रता से संबंधित अनुच्छेद 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ज) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(क) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

(ख) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क. कंपनी आरंभिक स्तर पर है और कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है। इसलिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

ख. ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में छूट/बट्टा खाता का काई मामला नहीं है। इसलिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

ग. कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई इन्वेंटरी नहीं है इसलिए तीसरे पक्ष के पास पड़ी माल की रिपोर्टिंग और सरकारी तथा अन्य प्राधिकरणों से

उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 01292एन

ह/-
जी एस भटनागर
(साझेदार)
सदस्यता सं. 081536

दिनांक: 11.09.2018
स्थान: नई दिल्ली

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक - क

(इसके पैरा (5) का संदर्भ लें**)**

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

ii. क. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

ख. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जा रही माल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत और उपयुक्त है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2015 के पैरा 3 (iii) (क) व (ख) के अंतर्गत अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधियि, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत किसी ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति में संव्यवहार नहीं किया है। इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई राशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधान तथा कोई अन्य संगत प्रावधान और अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2018 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर, सीमाशुल्क, रायल्टी, संपत्ति कर, भविष्य निधि, उत्पाद शुल्क तथा उपकर के संबंध में दय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है जिसे 31.03.2018 को विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

नियम का नाम	**विवादित देय राशियों की प्रकृति**	**बकाया राशि**	**यह राशि किस अवधि से संबंधित है**	**फॉरम जहां विवाद लंबित है**
शून्य				

ग) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि कंपनी पर लागू नहीं है।

viii. हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि को किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को ऋणों या कर्जों के या डिबेंचरधारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ix, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धारक कंपनी से रक्षित ऋण प्राप्त किा है और इसका पुनर्भुगतान अभी देय नहीं है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 (xii) के अंतर्गत आने वाली अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपन एक गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 1292**एन**

ह/-
(सीए जी एस भटनागर)
साझेदार
सदस्यता सं. 081536

दिनांक : **11.09.2018**
स्थान : **नई दिल्ली**

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के समसंख्यक वित्तीय विवरण के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का "अनुबंध ख"

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2018 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ

अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001292एन

जी एस भटनागर
साझेदार
सदस्यता सं. 081536

दिनांक: **11.09.2018**
स्थान: **नई दिल्ली**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
वित्तीय वर्ष 2017-18

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 28 जुलाई 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों पर पहुंच प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांचों, कंपनी के कार्मिकों और लेखांकन रिकार्डों के कुछ चुनिंदा जांचों तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेसे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत किसी टिप्पणी या सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अनुपूरक प्रस्तुत करे।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :23 सितंबर 2018